



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 नवम्बर, 2021

कार्तिक 24, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 22/2021/1674/36-3-2021-67(सा0)-2021

लखनऊ, 15 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-381

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि जिला कौशाम्बी के पूरब-पश्चिम शरीरा, चरवा तथा दारानगर-कड़ा धाम क्षेत्रों में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों पर उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से लागू होंगे।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 22/2021/1674/XXXVI-3-2021-67(Sa.)-2021, dated November 15, 2021:

No. 22/2021/1674/XXXVI-3-2021-67(Sa.)-2021

Dated Lucknow, November 15, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Dookan aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962 (U. P. Act no. 26 of 1962), the Governor is pleased to direct that all the provisions of the said Act shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, apply to all shops and commercial establishments situated in Purab-Pashchim Sarira, Charwa and Daranagar-Kada Dhaam areas of district Kaushambi.

By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 418 राजपत्र-2021-(935)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० श्रम-2021-(936)-300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।